पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

कहारी ब

गाँव - कहारी ब

पंचायत - कहारी

तहसील - दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास

गाँव के बुजुर्ग लोग बताते है कि यह गाँव आजादी के समय से 150 वर्ष पूर्व का है । यहाँ कुछ लोग सलुम्बर के पास के गाँव भराई से कहारी में आकर बस गये । फिर खेती के लायक जमीन और अंग्रेजों से बचने के लिए कहारी ब की जमीन और जंगल ज्यादा उपयुक्त लगा और वे पलायन कर यहाँ कहारी ब में आगये । तब से उन्ही के परिवार कुछ लोग आज भी गाँव में रह रहे है ।

कहारी ब गाँव का परिचय

कहारी ब गाँव कहारी ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है । कहारी पंचायत में चार राजस्व गाँव है - कहारी अ, कहारी ब, थैयाता और डोलवर निचली । कहारी ब गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 30 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कहारी ब गाँव के सीमावर्ती गाँव डोलवर निचली, वलोता, हिराता, बियोड़ा, डोलवर उपली, कहारी अ, थैयाता और धरतीमाता है ।

वर्ष 2017, नवम्बर में गाँव में पेसा कानून के तहत शिलालेख हो गया और गाँव सभा का गठन कर दिया गया । तय स्थान पर गाँव सभा की बैठके की जाती है और गाँव के मुद्दों पर गाँव सभा द्वारा फैसले लिए जाते है । गाँव के ज्यादातर लोग को पेसा कानून और उसकी शक्तियों को जानते है ।

कहारी ब में करीब 130 घर है, जिनकी आबादी लगभग 530 है । कहारी ब में केवल आदिवासी जाति के ननोमा, अहारी और कलासुआ उप-जातियो के लोग रहते है । इसके अलावा और कोई अन्य समाज या जाति के लोग नहीं है । यह गाँव पूरी तरह से आदिवासी जनजाति-बाहुल्य गाँव है । गाँव की पूरी जमीन 52.52 हेक्ट. है जिसमें कृषि योग्य जमीन, जंगल और बेनामी जमीन शामिल है । कुल रकबा जमीन में ही पहाड़ भी शामिल है । गाँव में चारागाह जमीन नहीं है । पूरे गाँव की जमीन पंचायत में सबसे ज्यादा सूखी और पथरीली है । गाँव की जमीन पथरीली, पहाड़ी ढलान और उबड़-खाबड़ है, जिस करण अच्छी खेती, प्रर्याप्त आजीविका के साधन, अच्छी सड़क सुविधा की गाँव में ज्यादा गुंजाइश नहीं है ।

यातायात और आवागमन

कहारी ब गाँव जाने के लिए डूंगरपुर बस स्टैंड के बाहर से प्राइवेट बस मिल जाती है जो बांसवाडा रोड़ पर डोजा मोड़ उतारती है फिर वहाँ से जीप और ऑटो के द्वारा गाँव तक जा सकते है । गाँव में सिर्फ 1 पक्की सड़क है जो दामड़ी से वरदा तक जाती है । पूरी सड़क बुरी तरीके से टूट गयी है । तेज बारिश के कारण सड़क कटकर बह गयी है । गाँव में सी. सी. सड़क भी 1 ही है जो नयी बनी है यह सी.सी. रोड़ मेनरोड़ से नरडिया फले में जाती है । गाँव की जमीन ऊची-नीची और पहाड़ी है जिस कारण रोड़ बनाने में समस्या आती है । गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए 5 कच्ची सड़के है। गाँव में 1 बस स्टैंड बना है लेकिन बस नहीं आती जाती है जिस कारण उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है । गाँव के मुख्य सड़क से ऑटो, जीप दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है । गाँव के फलों में ग्रामीण अपने नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल का उपयोग करते है या फिर पैदल जाया जाता है। क्योंकि गाँव के फलों के

पगडण्ड़िया काफी सकरी और धुल भरी है जिससे पहाड़ी पर रहने वालो को आने जाने में समस्या होती है।

शिक्षा व स्वास्थय

गाँव में 1 प्राथमिक विद्यालय है, जिसमे 40 बच्चे और 1 अध्यापक नियुक्त है । प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है । अध्यापकों की कमी है । प्राथमिक स्कूल की छत और फर्श टूट चुकी है, छत से प्लास्टर गिरता है जिससे बच्चों के साथ हादसा होने की आशंका बनी रहती है । फर्श में गड्डे हो गये है जिस कारण न तो बच्चे ढंग से पढाई कर पाते है न ही कक्षा-कक्ष में बैठ पाते है । इन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ता है क्योंकि दरी की व्यवस्था नहीं है । कमरे भी जर्जर हो गये है । स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है तथा शौचालय की हालत बदतर है, सफाई के अभाव में बहुत गंदे हो गये है । पीने के पानी के लिए लगा हैंडपंप भी ख़राब है । पीने के पानी के लिए आर.ओ. नहीं लगा है । बहुत ही कम बच्चे 8वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ते है । पढने के लिए सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहारी अ गाँव में है । स्नातक स्तर की शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे डूंगरपुर में छात्रावास में या किराये पर कमरा लेकर रह रहे है ।

गाँव में साधारण बिमारियों के ईलाज के लिए उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसके लिए कहारी अ 2 किमी दूर जाना होता है । जहाँ ए.एन.एम. दवा दे देती है, सरकारी हॉस्पीटल दामडी गाँव 9 किमी दूर है । मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा भी नहीं है लेकिन मेन रोड़ तक मरीज को किसी तरह उठाकर लाना पड़ता है और यहाँ से निजी वाहन की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है । बडा हॉस्पीटल 26 किमी दूर डूंगरपुर में है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कुल 52.52 हेक्ट जमीन में से कृषि योग्य जमीन बहुत कम है और सिंचाई के लिए पानी की भी बहुत कमी है । इस कारण गाँव की मुख्य फसल जैसे - मक्का, उडद, मूंग की खेती बारिश के मौसम में की जाती है । अधिकतर खेती की जमीन उबड़-खाबड़ और पहाड़ी है । जमीन के पथरीली होने के कारण उत्पादन बहुत कम होता है । बारिश के बाद गाँव में तेजी से जल स्तर नीचे चला जाता है अभी गाँव का भू जल-स्तर 250 से भी अधिक गहराई में है । गाँव में कोई नदी भी नहीं है न ही एनिकट है । पंचायत ने मनरेगा में 5 छोटे तालाब खुदवाये है । कुओं, नालों, तालाब में पानी मार्च-अप्रैल महीने तक ही पानी रहता है । खेती से चार या पांच माह खाने भर का अनाज होता है उसके बाद सरकारी राशन की दुकान या बाजार से खरीदना पड़ता है। जिसके लिए राशन की दुकान पास के गाँव कहारी अ में है ।

घर चलने के लिए आजीविका का साधन या रोजगार के नाम पर गाँव में खेती ही प्रमुख है और सरकारी योजना में मनरेगा में काम चलता है, साल में अधिकतम 60 दिन काम मिलता है और मजदूरी भी 90-

100 रूपए ही दिये जाते है । अधिकतर लोग कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है।

सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति

गाँव में पीने के पानी और सिंचाई के लिए प्रर्याप्त साधन नहीं है । खेतों में सिंचाई के लिए 3 नाले, 5 तालाब, 21 कुएं, 5 चेकडैम है । 3 कुएं बिल्कुल सूखे ही रहते है और 17 कुओं में ज्यादा से ज्यादा 6-7 फीट रहता है । 5 तालाब पंचायत ने बनवाये है लेकिन पानी का भराव कम ही होता है ये सूखे ही रहते है । गाँव में एक भी एनिकट नहीं है । नालों में भी पानी फरवरी महीने में बंद हो जाता है । कुओं कों अभी गहरा किया गया है जिस कारण उनमे पानी मिल जाता है । मध्य ग्रीष्म ऋतु में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है ।

पशुपालन

गाँव में लोग गाय, बैल, बकरी, और भैस पालते है जिनसे उनके दूध और खाने के लिए मांस की जरुरत पूरी हो जाती है । इसके अलावा ये बकरे को डूंगरपुर शहर के बाजार में लाकर बेचते भी है जिससे भी आय हो जाती है । गाँव की चारागाह की जमीन नहीं है जंगल की जमीन पर वन विभाग का कब्ज़ा है । खेती में पशुओं के लिए चारा पानी की कमी से इतना नही हो पाता है जिससे पूरे वर्ष जानवरों को चारा खिलाने का काम चल सके । अक्सर चारे के अभाव में पशुओ की मृत्यु भी हो जाती है । गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है जिस कारण सर्दी की वजह से पशुओ का सर्दी से बचाव नहीं हो पाता है । मार्च के बाद चारे और भूसे का ट्रक खरीदना पड़ता है जो 15000 से 18000 रुपए कीमत में पड़ जाता है जिसे 4-5 लोग मिल कर खरीदते है ।

गाँव की चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न् प्रकार है-

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

डोलवर निचली गाँव में जंगल की जमीन बहुत कम बची है । जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है । गाँव के जंगल में अभी केवल बबूल के पेड़ है पहले सागवान, तेंदुपत्ता, ढ़ाक, टिम्बरु और आम के पेड़ थे । लेकिन वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद और पानी की कमी के चलते जंगल खत्म हो गया है । गाँव की बिलानाम जमीन पर गाँव और सरकार का सामूहिक कब्ज़ा है । इस पर अभी सामूहिक दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है । गाँव में बड़े पहाड़ है, जिस पर गाँव का कब्ज़ा है लेकिन इनमे किसी भी प्रकार के खनिज की जानकारी नहीं है ।

आवागमन की समस्या

गाँव में सिर्फ 1 पक्की सड़के है जो दामड़ी से वरदा तक जाती है । पूरी सड़क बुरी तरीके से टूट गयी है । गाँव में सी. सी. सड़क भी 1 ही है जो नयी बनी है । गाँव की जमीन ऊची-नीची और पहाड़ी है जिस

कारण रोड़ बनाने में समस्या आती है। गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए 5 कच्ची सड़के है। गाँव के फलों में ग्रामीण अपने निजी वाहन जैसे मोटर साइकिल का उपयोग करते है या फिर पैदल जाया जाता है। क्योंकि गाँव के फलों के पगडण्ड़िया काफी सकरी और धूलभरी है। गाँव में 1 बस स्टैंड बना है लेकिन बस नहीं आती जाती है जिस कारण उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। गाँव के मुख्य सड़क से ऑटो, जीप दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है। लेकिन पहाड़ी पर रहने वालो को आने जाने में समस्या होती है। सवारी वाहन भी जब तक पूरे भर नहीं जाते तब तक नहीं चलते है जिससे लोग कहीं भी पहुँचने में देर हो जाती है। निजी सवारी वाहन चालक किराया भी ज्यादा और मनमाने ढ़ंग से वसूलते है।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में ज्यादातर लोगों के पास अपनी कब्जे की जमीन के पट्टे नहीं है। सरकार की नीतियों के कारण लोगों को जमीन हाथ से जाने का भय है। खेत की जोत छोटी है और ज्यादातर खेत उबड़-खाबड़ है जिन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है और असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश के पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है। गाँव में 3 छोटे नाले और 21 कुएं है जिसमे से 17 में सिर्फ 6-7 फीट पानी ही रहता है जो पशुओ कों पिलाने में काम में लिया जाता है बाकी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था या साधन उपयुक्त नहीं है। सभी जल जल-स्रोत फरवरी - मार्च तक सूख जाते है। कुओं की गहराई भी ज्यादा नहीं है इनमे पानी बारिश के बंद होते ही खत्म होना शुरू हो जाता है। नालों के बीच में पंचायत ने 5 तालाब बनवाये है लेकिन उनमे भी पानी नहीं रहता है, बारिश के बाद एक माह तक ही पानी रहता है। गाँव में 8 हैण्डपम्प है, जिसमे से 5 चालू 3 बंद है। सभी हैण्डपम्प का पानी फ्लोराइड से दूषित है। इतने जल संसाधन होते हुए भी गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। गाँव में खेती की जमीन पर जो चारा होता है वह साल भर नहीं चल पाता है। खेती में सिंचाई के पानी की कमी के कारण खेतों में पशुओं के र्प्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। चारे की एक पुली या गट्ठर सात रूपये में खरीदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 18000 रूपये में भूसे का ट्रक खरीदते है। गाँव में दूध और कृषि के उपयोग में लेने के लिए उन्नत किस्म के पशु नहीं है। चारे के अभाव में दुधारू पशु भी ज्यादा दूध नहीं देते है केवल घरभर का काम निकल जाता है। अक्सर चारे के अभाव में पशुओ की मृत्यु भी हो जाती है। गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है जिस कारण सर्दी की वजह से पशुओ का सर्दी से बचाव नहीं हो पाता है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में 130 घर है, लेकिन पढने वाले बच्चों के लिए केवल 1 प्राथमिक विद्यालय है और वह भी जर्जर हो गया है। कमरे इतने पुराने हो गये है कि तेज़ बारिश में गिर जाने का भय बना रहता है। भवन का रंग-रोगन उड़ गया है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कम है। स्कूल की छत और फर्श टूट चुकी है, छत से प्लास्टर गिरता है जिससे बच्चों के साथ हादसा होने की आशंका बनी रहती है। फर्श में गड्डे हो गये है जिस कारण न तो बच्चे ढंग से पढाई कर पाते है न ही कक्षा-कक्ष में बैठ पाते है। इन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ता है क्योंकि दरी की व्यवस्था नहीं है। खेल का मैदान नहीं है तथा शौचालय की हालत जर्जर है, लेकिन उनमे पानी की टंकी नहीं है, सफाई के अभाव में बहुत गंदे हो गये है। पीने के पानी के लिए लगा हैंडपंप भी ख़राब है और पानी में फ्लोराइड है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चों का नामांकन भी कम होता है वे पास के गाँव के स्कूल में जाते है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बहुत कम बच्चे उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ पाते है। स्नातक स्तर की शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे डूंगरपुर में छात्रावास में या किराये पर कमरा लेकर रह रहे है। इन सभी समस्याओं कों लेकर वे गाँव सभा में भी प्रस्ताव लिखकर अधिकारीयों और पंचायत में जमा करा चुके है।

गाँव में 1 आंगनवाड़ी है लेकिन ये जर्जर और ख़राब हालत में है, पोषाहार को लेकर भी लोगो को समस्या है वहाँ पोषाहार अच्छा नहीं दिया जाता है। गाँव में साधारण बिमारियों के ईलाज के लिए उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 9 किमी दूर दामडी में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा नही है। लेकिन मेन रोड़ तक मरीज को किसी तरह उठाकर लाना पड़ता है और यहाँ से निजी वाहन की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन इसके लिए मरीज को मुख्य सड़क पर लाना बड़ा ही कठिन कार्य है क्योंकि सड़क खस्ता हाल है और पगडण्ड़िया सकरी है जिन पर चार-पहिया वाहन नहीं जा सकता है। बडा हॉस्पीटल 30 किमी दूर डूंगरपुर में है।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

कहारी ब गाँव पंचायत का सबसे सूखा और पथरीला क्षेत्र है। यहाँ की खेती की जमीन पथरीली और पहाड़ी है जिसमे अच्छी खेती और उत्पादन सम्भव नहीं है। गाँव में सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। गाँव में पानी की कमी के कारण मुख्य फसल बारिश के मौसम में उगायी जाती है क्योंकि बारिश के बाद गर्मी के मौसम में सिंचाई के पानी की कमी हो जाती है। गर्मी में जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है। गाँव में भू-जल स्तर 250 फुट नीचे चला गया है। हालाँकि वहाँ पर 5 चेकडैम, 3 नाले, 5 तालाब, 21 कुऐ है, 17 चालू कुओं में 6-7 फीट पानी रहता है जिससे पशुओ के लिए ही पानी मिल पाता है। सभी जल स्रोतों में पानी साल के फरवरी-मार्च महीने में ख़त्म हो जाता है। गाँव के तालाब में मिटटी और कीचड़ से उथले हो गये है और इनसे लगातार पानी का रिसाव होता रहता है।

ये भी सूखे ही रहते है । *यदि अभी वर्तमान में जमीनी जलस्तर 250 फुट गहराई में चला गया है और ग्रीष्म ऋतु में पानी ख़त्म हो जाता है तो कुछ सालों बाद गाँव में पानी का स्तर और भी अधिक गहराई तक चला जाएगा। इसके साथ ही गाँव में खेती और पीने के पानी के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो जायेगा । वर्तमान में जो पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो भविष्य में गाँव खाली करने या दूसरी जगह पर विस्थापित होने की स्थितियों का सामना करना पड सकता है ।*

गाँव में खेती से होने वाला अनाज केवल 4 या 6 माह ही चल पाता है, खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दुकान कहारी अ गाँव में है । राशन की दुकान पर केवल गेहूं मिलता है, चीनी तथा केरोसीन त्यौहारों पर ही मिलता है। केरोसिन भी 2 लीटर ही दिया जाता है । कई बार राशन की दुकान पर दिया जाने वाला गेहू भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है । राशन दुकान पर पॉस मशीन की भी समस्या रहती है। इसके अलावा जिन लोगो ने गाँव में घर में शौचालय नहीं बनाये है उनका राशन बंद कर दिया गया है । गाँव में जिन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया है उनका केरोसिन बंद हो गया है लेकिन इस योजना में गड़बड़ी है कि जिन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं मिला है उनका भी बंद हो गया है । गाँव के लोगो की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे हर महीने सिलेन्डर खत्म होने पर उसे फिर से रिफिल करवा पाए ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन या तो खेती है अन्यथा मजदूरी एक मात्र आजीविका चलाने का साधन है । रोजगार की स्थिति भी काफी खराब है, गाँव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। गाँव में नरेगा पर काम मिलता है। जिसमें गाँव की महिलायें जाती है तथा जो पुरुष यहां रह कर खेती करते है वे भी नरेगा में काम पर जाते है। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। मनरेगा में काम भी 50-60 दिन ही मिलता है । गाँव के पढ़े - लिखे युवा लोग काम करने के लिए शहरों में आते है । कुछ लोग अच्छी जीविका की तलाश और अच्छी सुविधाओं के लिए दूसरे जिलों में भी पलायन कर गये है ।

अन्य

गाँव में श्मशान के लिए भी जगह नहीं है । लोग अपने परिजनों के दाह-संस्कार कहारी अ के श्मशान घाट पर करते है । वहाँ भी टीन, छाया, पानी, रोड की व्यवस्था नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है । 1 सामुदायिक भवन है जो की खंडहर हो गया है अब वहाँ कोई बैठक या कार्यक्रम नहीं किया जाता है । गाँव में योजना के तहत बने शौचालय आधे-अधूरे है पानी की कमी के चलते उपयोग नहीं हो पा रहा है । गाँव में 1 बिजली के ट्रांसफार्मर लगा है, सभी घरों में बिजली नहीं है । जिन घरों में यह सुविधा उपलब्ध है उन्हें भी 6-8 घंटे ही बिजली मिल पाती है और बिजली विभाग के कर्मचारी बिना मीटर रीडिंग किये

ही बिल दे देते है जो की अनुमान से भी कहीं गुना ज्यादा होता है । गाँव में 80 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल पाया है । बाकी के कई लोगो ने सिर्फ इसलिए नहीं लिया है क्योंकि गैस लेने पर उनका केरोसिन भी बंद हो जायेगा और उनके चूल्हे जलने और रोशनी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला तालाब चेकडैम कुआं हैण्डपम्प	गाँव में 3 बरसाती नाले है जिन पर 5 चेकडैम बने है और 5 तालाब पंचायत ने खुदवाये है इनमे पानी फरवरी-मार्च माह तक ही रहता है । नालो की रिंगवाल नहीं की गयी है । जिससे मिटटी का कटाव भी होता है । गाँव में 21 कुएं हा जिनमे सिर्फ 6-7 फीट पानी ही गर्मियों में रहता है उससे केवल पशुओ को ही पानी पिलाया जाता है सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है । गाँव में 8 हैंडपंप है लेकिन सिर्फ 5 चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गर्मी समाप्त होने से पहले ही सभी जल-स्रोतों में पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में मवेशीयों के पीने के पानी और सिंचाई की समस्या हो जाती है।	गाँव वासियों के अनुसार यदि नालों की रिंगवाल बना दी जाये तो पास के खेतों का कटाव नहीं होगा और तालाब को गहरा करने से उसमे पानी ज्यादा रुक पायेगा । एक बड़ा एनिकट बनाना ताकि पानी रुक सके । और पूरे साल सिचाई की व्यवस्था हो सकती है । नाले के रास्ते पर छोटे छोटे चेकडेम बनाये जाए तो गाँव में जमीनी पानी का तो जलस्तर ऊंचा होगा । फ्लोराइड मुक्त पानी के लिए आर.ओ. प्लांट लगना चाहिए ।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि पहाड़ जंगल	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाडी, उबड़-खाबड़ और पथरीली ढलान वाली जमीन है। गाँव में बिलानाम जमीन और जंगल पर सरकार का कब्ज़ा है । सारी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। पहाड़ बड़े है लेकिन उनमे किसी भी प्रकार के खनिज मिलने की कोई जानकारी नहीं है । जंगल में जाने और वन-उत्पादों के एकत्रण पर वन विभाग ने रोक लगा दी है । सामुदायिक दावा फाइल लगाई है लेकिन	गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जंगल पर अधिकार पत्र लेकर उसको विकसित करते हुए गाँव के हित में उपयोग में लेना । गाँव की बेकार पड़ी जमीन को उन्नत कृषि तकनीकी के माध्यम से उपजाऊ बनाया जा सकता है । खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।

	पट्टा नहीं मिल पाया है ।	
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव में केवल 1 पक्की सड़क और 1 सी.सी. है बाकि सारी 5 कच्ची सड़क है । पक्की सड़क भी टूटी हुई है और कच्ची सड़कों की हालत ख़राब हो गयी है वे टूट गयी है इनसे मिटटी और कंकड़ उड़ते है जिससे सड़क किनारे रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना मरीजों कों हॉस्पिटल के लिए लाने ले जाने में और गर्भवती महिलाओं कों होती है । बारिश के मौसम में तो समस्या और भी गहरा जाती है ।	गाँव की पक्की सड़क की मरम्मत की जाये । यदि गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़कों को चौड़ा करके पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी । बस स्टैंड कों चालू किया जाये और छोटी बस चलायी जाये ।
स्कूल	गाँव में 1 प्राथमिक है जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता है और फर्श भी टूट रही है। खेल का मैदान नहीं है और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है । स्कूल में अध्यापक भी कम है । दी जाने वाली शिक्षा की स्थिति काफी ख़राब दर्जे की है ।	प्राथमिक स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। फर्श, शौचालय की मरम्मत करवाना । अध्यापक नियुक्ति के लिए शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना और अध्यापकों को समय पर आने के लिए पाबंद करना । यह कार्य गाँव सभा के माध्यम से करना है ।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन	गाँव में 60 प्रतिशत लोगो को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है । जिन्हें मिल गया उनका मिटटी का तेल बंद कर दिया गया है लेकिन साथ ही उन परिवारों का भी मिटटी का तेल बंद कर दिया गया है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है ।	योजना को सही से लागू किया जाये और मिटटी का तेल पुनः शुरू किया जाये ।
बिजली	गाँव में सभी घरों में बिजली की सुविधा नहीं है । जिन लोगो को यह सुविधा मिली है वे भी बिल के बहुत ज्यादा आने से परेशान है ।	सही से मीटर की रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी को पाबंद करना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में केवल 1 प्राथमिक स्कूल है,जिसमे सिर्फ 1 अध्यापक नियुक्त है और कमरों की भी कमी है । स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है साथ ही फर्श भी टूट रही है । स्कूल का खेल मैदान नहीं है और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । अध्यापकों की कमी है ।	गाँव के स्कूलों में सभी व्यवस्था पूरी दी जाये और अच्छी दी जाये । पुरे अध्यापकों की नियुक्ति हो । तभी बच्चों का नामांकन दर बढ़ेगी और ड्रापआउट दर कम होगी ।	**तात्कालिक**
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 17 चालू कुएं है जिनमे 6-7 फीट पानी रहता है जो मवेशियों कों पिलाने के काम आता है । और 5 चालू हैंडपंप है बाकी सभी जल-संसाधन सूखे है या पानी नहीं आता है, गाँव का जलस्तर 250 फिट से नीचे चला गया है। गर्मी में तालाब के सूख जाने से मवेशियों के लिए भी पानी की समस्या हो जाती है ।	जो हैंडपंप और कुएं बंद हो गये है या जिनमे पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में एनिकट बनाना और चेकडैम निर्माण करना और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है ।	**दीर्घकालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई के लिए 3 बरसाती नाले है जिन पर	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण करवाना । बारिश के पानी	**तात्कालिक**

			बारिश का पानी गाँव में रोकने के लिए 5 चेकडैम है । कुओं, चेकडैम, नालों और तालाबों में पानी फरवरी के बाद समाप्त हो जाता है । पशुओ के पानी के लिए भी समस्या हो जाती है । सभी जल-स्रोतों में गर्मी के मौसम में पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ।	को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण करना । घर और खेतों में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना । एनिकट की मरम्मत करके उसकी ऊंचाई को बढ़ाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।	
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में पक्की सड़कों, सी.सी. सड़के और कच्ची तेज बारिश होने के कारण काफी ख़राब हो गयी है जिसके कारण हादसों की संभावना बनी रहती है । अंदरूनी रास्ते भी कच्चे है ।	गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और टूटे हुए रास्तों को फिर से ठीक करना और कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना**	**व्यक्तिगत**	गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है । गाँव में अभी भी कुछ परिवार वालों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है । इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**

			की पेंशन भी बंद है। और समय पर जीवित प्रमाणपत्र ना प्रस्तुत करना भी एक कारण है ।		
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक दावा पत्र नहीं मिलना ।**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। पिछले कुछ सालो से इसे सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है । जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	गाँव सभा कों जिम्मेदारी लेकर लोगो के व्यक्तिगत जमीन के पट्टे फाइल जमा करना होगा । काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	टूटी हुई पक्की सड़क और सी.सी. सड़क को सही नहीं करवाना। कच्चे रास्ते को सी.सी. में नहीं बदलवाना । गाँव में बस की मांग नहीं करना । दुर्भर रास्तों और पहाड़ी होने के कारण सरकार भी	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। रोड़ लाइट लगने से दुर्घटनाओ की संभावना कम हो जायेगी । बीमारी की हालत में मरीज को जल्दी चिकित्सा सुविधा	इस समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना, साथ ही वे इसको सरकार पर छोड़ रहे है ।

	बस सुविधा नहीं देती है।	मिल सकती है ।	
जल-स्रोत	गाँव में सभी नाले, तालाब, चेकडैम और कुएं भू-जल स्तर के 250 फीट से भी नीचे जाने के कारण गर्मी आने से पहले ही सूख जाते है । वर्षा जल-संरक्षण का कोई ठोस कदम गाँव और पंचायत की ओर से नहीं उठाया गया है । गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, पानी को रोकने के लिए घरों में पक्की टंकी का निर्माण करवाना । बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से रोका जाए जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं । ताकि जल स्तर एकदम से नीचे न जाये । ज्यादा और तेज पानी के बहाव वाले स्थान पर एनिकट निर्माण करना ।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए कोई पहल नहीं करना और योजना होते हुए भी ना क्रियान्वित करना । गाँव के लोगों की उदासीनता । गाँव सभा में इसके लिए प्रस्ताव लेना ।
आजीविका के साधन	गाँव में खेती और मनरेगा के अलावा और किसी रोजगार के साधन का अभाव । कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाना । लघुगृह उद्योग, सब्जी की खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। उन्नतशील बीज और बेहतर किस्म के पशुओ का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	सभी लोगों के पास कब्जे की जमीन के पट्टे ना होना । खेती की पर्याप्त जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन	गाँव में 60 प्रतिशत	योजना को सही से लागू	लोगो को भय है कि

	लोगो को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है । जिन्हें मिल गया उनका मिटटी का तेल बंद कर दिया गया है लेकिन साथ ही उन परिवारों का भी मिटटी का तेल बंद कर दिया गया है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है ।	किया जाये और मिटटी का तेल पुनः शुरू किया जाये ।	गैस कनेक्शन लेने से उनका भी केरोसिन अन्य लोगो की तरह बंद हो जायेगा और रात अँधेरे में गुजारनी पड़ जाएगी । दूसरी तरफ जिन्हें गैस मिल गयी है उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वे दुबारा सिलेन्डर रिफिल करवा पाए ।

- **गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-**

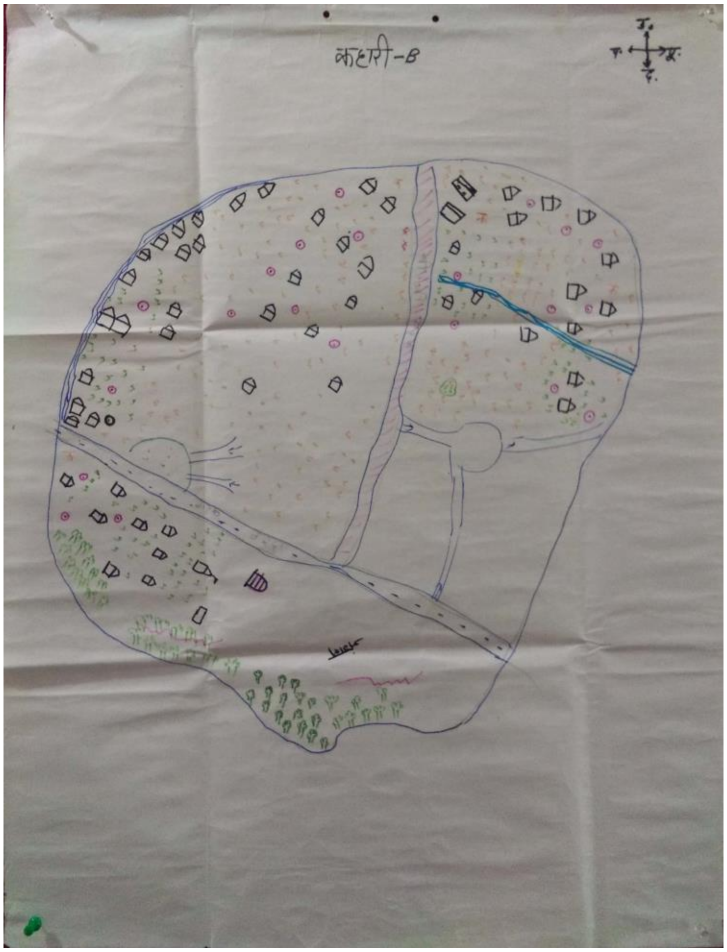

➢ **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांग पेंशन पालनहार (6-18 वर्ष)	 25 5 4 6
पी.एम., सी.एम. आवास योजना + बकाया भुगतान	34
शौचालय के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में	2
स्कूल के सम्बंध में अध्यापकों की नियुक्ति कमरों का निर्माण शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था शौचालय में पानी की व्यवस्था परकोटा निर्माण	 रा.प्रा.वि. नरडिया
नया आंगनवाडी भवन निर्माण के सम्बन्ध में	3
राशन की दुकान खोलने के सम्बन्ध में	1
उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के सम्बन्ध में	1
पशु अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में	1
तालाब गहरीकरण और रिन्ग्वाल	3
सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में	1
रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में सी.सी. सड़क	 3
हैंडपंप के सम्बन्ध में नए हैंडपंप पुराने हैंडपंप	 13 4
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> पशुवाडा निर्माण, खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण मरम्मत	72
कच्चे चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में	24
एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में	3
वृक्षारोपण के सम्बन्ध में	2
आपसी विवाद निपटारा के सम्बन्ध में	

सामाजिक कुरीतियों पर रोक के सम्बन्ध में	
काबिज भूमि पर व्यक्तिगत कब्जे की फाइल लगाना	
सामुदायिक वन दावा करने के कब्जे में	
बिजली कनेक्शन के सम्बन्ध में	35
आर.ओ. प्लांट के सम्बन्ध में	3

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

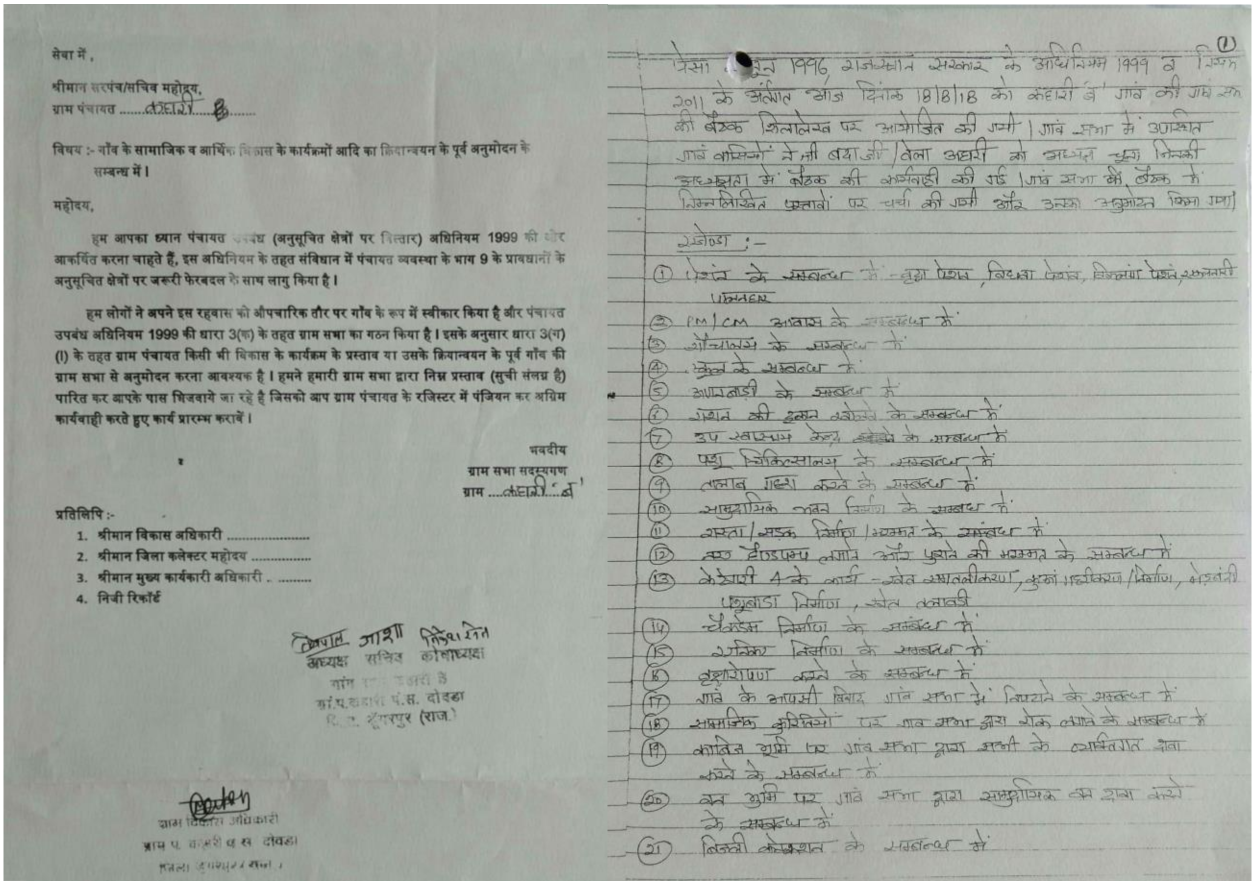

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....कहारी ब.......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है । हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....कहारी 'ब'

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी . ...
4. निजी रिकॉर्ड

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

ग्राम विकास अधिकारी

(1)

पेसा कानून 1996 राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 18/8/18 को कहारी 'ब' गांव की ग्राम सभा की बैठक शिलालेख पर आयोजित की गयी। गांव सभा में उपस्थित गांव वासियों ने श्री बदा जी/वेला अहारी को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक के निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा :-

1. पेंशन के सम्बन्ध में - वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकलनारी पालनहार
2. PM/CM आवास के सम्बन्ध में
3. शौचालय के सम्बन्ध में
4. स्कूल के सम्बन्ध में
5. आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में
6. राशन की दुकान खोलने के सम्बन्ध में
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में
8. पशु चिकित्सालय के सम्बन्ध में
9. तालाब गहरा करने के सम्बन्ध में
10. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में
11. रास्ता/सड़क निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में
12. नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में
13. केटेगरी 4 के कार्य - खेत समतलीकरण, कुआं गहरीकरण/निर्माण, मेड़बंदी पशुबाडा निर्माण, खेत तलावडी
14. चैकडेम निर्माण के सम्बन्ध में
15. एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में
16. वृक्षारोपण करने के सम्बन्ध में
17. गांव के आपसी विवाद गांव सभा में निपटाने के सम्बन्ध में
18. सामाजिक कुरीतियों पर गांव सभा द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में
19. काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सभी के व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध में
20. वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक वन दावा करने के सम्बन्ध में
21. बिजली कनेक्शन के सम्बन्ध में

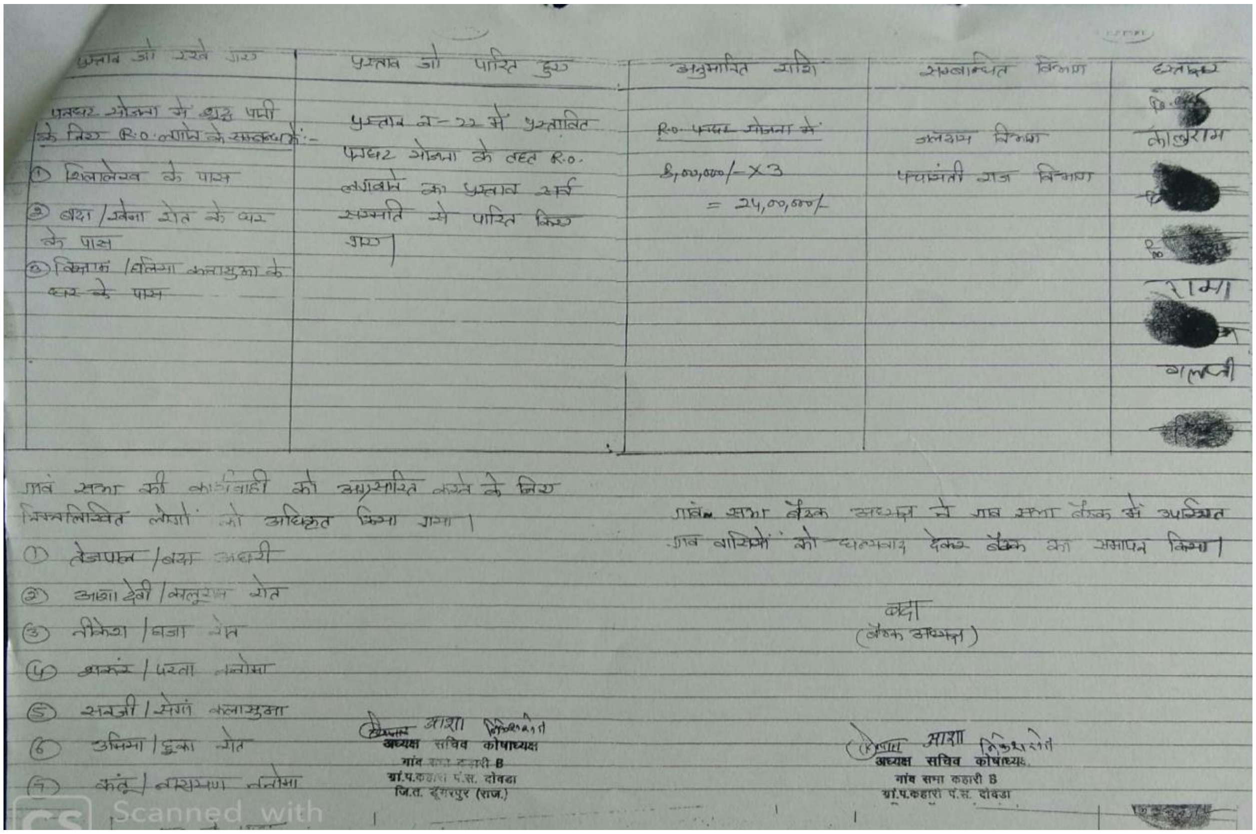

प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित राशि	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
पनघट योजना में शुद्ध पानी के लिए R.O. लगाने के सम्बन्ध में:- (1) शिलालेख के पास (2) बदा/रवेना रोत के घर के पास (3) बिजाक/धलिया कलासुआ के घर के पास	प्रस्ताव न-22 में प्रस्तावित पनघट योजना के तहत R.O. लगवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए।	R.O. पनघट योजना में 8,00,000/-×3 = 24,00,000/-	जलदाय विभाग पंचायती राज विभाग	कोलूराम रामा गलजी

गावं सभा की कार्यवाही को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।
(1) तेजपाल/बदा अहारी
(2) आशा देवी/कलूराम रोत
(3) नीकेश/बजा रोत
(4) शंकर/परता ननोमा
(5) सरजी/सेगां कलासुआ
(6) उर्मिला/दुका रोत
(7) कंतू/लक्ष्मण ननोमा

गांव सभा बैठक अध्यक्ष ने गांव सभा बैठक में उपस्थित गांव वासियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया।

बदा
(बैठक अध्यक्ष)

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
गांव सभा कहारी B
ग्रां.प.कहारी पं.स. दोवडा
जि.त. डूंगरपुर (राज.)

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
गांव सभा कहारी B
ग्रां.प.कहारी पं.स. दोवडा

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1.	लक्ष्मण कटारा	9950625031
2.	बदा अहारी	9001508846
3.	वासु रोत	7340565363
4.	निलेश रोत	8107277284
5.	रामा कटारा	
6.	भूरी अहारी	
7.	मणि ननोमा	